प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च , 2020

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में आडिट अनुशासन की **5 प्रतिशत** धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 5800.00 करोड़ में से जिला पंचायतों की धनराशि रूपये 2320.00 करोड़ के सापेक्ष ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन की **5%** धनराशि **रूपये 116.00 करोड (रूपये एक सौ सोलह करोड मात्र)** संस्तुति संख्या-55 के अनुसार संलग्न सूची में इंगित विवरण के अनुसार आडिट अनुशासन की 56 पात्र जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	11600.00 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) आडिट अनुशासन की धनराशि हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित निकायों की पात्रता का दायित्व निदेशक, पंचायती राज का होगा।

(2) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, निदेशक पंचायती राज द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिला पंचायत के सम्मुख कॉलम-5 में आवंटित धनराशि के अनुसार कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित जिला पंचायतों के खाते में जमा किया जायेगा।

(3) इस धनराशि को जिला पंचायतों के मध्य संस्तुति संख्या-55 के अनुसार वितरित किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित पंचायती राज, अनुभाग-3 , उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है ।इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन / समायोजन अनुमन्य नहीं होगा ।

(6) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-20/2020/बी-2-79/दस-2020-2/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-20/2020/बी-2-79/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 का संलग्नक

जिला पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित आयोग की वित्तीय वर्ष 2019–20 की आडिट अनुशासन की पात्र जिला पंचायतों की परफारमेन्स ग्रान्ट का विवरण

अनुदान संख्या-61

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वास्तविक सूचकांक (%)	मानक सूचकांक (%)	आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1	सहारनपुर	1.578	2.087	242.037
2	मुजफ्फर नगर	1.423	1.882	218.263
3	शामली	0.898	1.187	137.737
4	आगरा	1.619	2.141	248.326
5	फिरोजाबाद	1.218	1.611	186.820
6	मथुरा	1.274	1.685	195.409
7	एटा	1.04	1.375	159.518
8	अमरोहा	1.026	1.357	157.370
9	रामपुर	1.117	1.477	171.328
10	बिजनौर	1.799	2.379	275.935
11	सम्भल	1.124	1.486	172.402
12	पीलीभीत	1.191	1.575	182.678
13	लखनऊ	1.431	1.892	219.490
14	रायबरेली	1.288	1.703	197.556
15	सीतापुर	2.27	3.002	348.178
16	हरदोई	2.038	2.695	312.593
17	खीरी	2.056	2.719	315.354
18	उन्नाव	1.581	2.090	242.497
19	बस्ती	1.297	1.715	198.937
20	सन्त कबीर नगर	1.001	1.324	153.536
21	गोरखपुर	1.885	2.492	289.126
22	देवरिया	1.484	1.962	227.619
23	कुशीनगर	1.689	2.233	259.063
24	महराजगंज	1.348	1.782	206.759
25	अयोध्या	1.344	1.777	206.146
26	बाराबंकी	1.739	2.299	266.732

शासनादेश संख्या-20/2020/बी-2-79/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 का संलग्नक

जिला पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित आयोग की वित्तीय वर्ष 2019–20 की आडिट अनुशासन की पात्र जिला पंचायतों की परफारमेन्स ग्रान्ट का विवरण

अनुदान संख्या-61

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वास्तविक सूचकांक (%)	मानक सूचकांक (%)	आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
27	सुल्तानपुर	1.369	1.810	209.980
28	अम्बेडकर नगर	1.288	1.703	197.556
29	अमेठी	1.387	1.834	212.741
30	गोण्डा	1.67	2.208	256.149
31	बलरामपुर	1.101	1.456	168.874
32	बहराइच	1.56	2.063	239.276
33	श्रावस्ती	0.709	0.937	108.748
34	मिर्जापुर	1.409	1.863	216.116
35	संत रविदास नगर	0.952	1.259	146.020
36	सोनभद्र	1.404	1.856	215.349
37	वाराणसी	1.322	1.748	202.771
38	चन्दौली	1.085	1.435	166.420
39	गाजीपुर	1.745	2.307	267.652
40	जौनपुर	2.19	2.896	335.907
41	कौशाम्बी	1.081	1.429	165.806
42	प्रतापगढ़	1.616	2.137	247.866
43	फतेहपुर	1.397	1.847	214.275
44	आजमगढ	2.209	2.921	338.822
45	मऊ	1.106	1.462	169.641
46	बलिया	1.54	2.036	236.209
47	कानपुर नगर	1.053	1.392	161.512
48	कानपुर देहात	1.253	1.657	192.188
49	औरैया	0.971	1.284	148.934
50	झांसी	1.044	1.380	160.131
51	जालौन	0.936	1.238	143.566
52	ललितपुर	0.947	1.252	145.253
53	हमीरपुर	0.819	1.083	125.620

शासनादेश संख्या-20/2020/बी-2-79/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 का संलग्नक

जिला पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित आयोग की वित्तीय वर्ष 2019–20 की आडिट अनुशासन की पात्र जिला पंचायतों की परफारमेन्स ग्रान्ट का विवरण

अनुदान संख्या-61

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वास्तविक सूचकांक (%)	मानक सूचकांक (%)	आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
54	बांदा	1.045	1.382	160.285
55	चित्रकूट	0.881	1.165	135.130
56	महोबा	0.781	1.033	119.792
	महायोग	**75.628**	**100.000**	**11600.000**